DECODING THE BROADCAST JIGSAW FRAMEWORK

INTRODUCTION

The television broadcasting sector in India has undergone a remarkable transformation from a government-controlled entity to a dynamic and competitive industry. Prior to the liberalization era of 1991, Doordarshan, the state-owned broadcaster, was the sole player in the sector. However, economic reforms and policy changes opened the doors for private broadcasters, revolutionizing content distribution and accessibility. Over the years, regulatory frameworks have evolved to accommodate technological advancements, including satellite television, Direct-to-Home (DTH) services, Internet Protocol Television (IPTV), and digital cable systems. This article explores the historical evolution, regulatory milestones, and the current landscape of television broadcasting in India.

Before 1991, television broadcasting in India was exclusively controlled by the government. Doordarshan, operated by Prasar Bharati following the enactment of the Prasar Bharati Act in 1990, was the only broadcaster. Content production and distribution were state-managed, limiting viewer choices and private participation in the sector.

The economic liberalization of 1991 marked a significant shift in India's television broadcasting landscape. Private operators were permitted to enter the market, leading to the introduction of the Cable Television Networks (Regulation) Act (CTN Act) and related rules. These regulations governed cable network operations, licensing, service quality, and content standards.

In 2000, the government introduced policy guidelines for satellite television channels, covering permissions,

प्रसारण पहेली रूपरेखा को समझना

परिचय

भारत में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र ने एक सरकारी नियंत्रित इकाई से एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। 1991 के उदारीकरण युग से पहले, सरकारी स्वामित्व वाला प्रसारणकर्ता दूरदर्शन इस क्षेत्र में एकमात्र खिलाड़ी था। हालांकि आर्थिक सुधारों और नीतिगत परिवर्तनों ने निजी प्रसारकों के लिए दरवाजे खोल दिये, जिससे सामग्री वितरण और पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया। पिछले कुछ वर्षों में, सैटेलाइट टेलीविजन, डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवायें, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) और डिजिटल केबल सिस्टम सहित तकनीक प्रगति को समायोजित करने के लिए विनियामक ढ़ांचे विकसित हुए हैं। यह लेख भारत में टेलीविजन प्रसारण के ऐतिहासिक विकास, विनियामक मील के पत्थर और मौजूदा परिदृश्य पर नजर डालता है।

1991 से पहले, भारत में टेलीविजन प्रसारण पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण था। 1990 में प्रसार भारती अधिनियम के लागू होने के बाद प्रसार भारती द्वारा संचालित दूरदर्शन एकमात्र प्रसारणकर्ता था। सामग्री उत्पादन और वितरण राज्य द्वारा प्रबंधित थे, जिससे दर्शकों की पसंद सीमित हो गयी और इस क्षेत्र में निजी भागेदारी सीमित हो गयी।

1991 के आर्थिक उदारीकरण ने भारत के टेलीविजन प्रसारण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। निजी ऑपरेटरो को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम (सीटीएन अधिनियम) और संबधित नियमों की शुरूआत हुई। ये विनियमन केबल नेटवर्क संचालन, लाइसेंसिंग, सेवा की गुणवत्ता और सामग्री मानकों को नियंत्रित करते थे।

2000 में सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश पेश किये, जिसमें अनुमति, स्पेक्ट्रम आवंटन और सामग्री विनियमन

spectrum allocation, and content regulation. The launch of India's first DTH platform in 2003, following the issuance of DTH guidelines in 2001, further diversified the distribution ecosystem.

REGULATORY DEVELOPMENTS AND DIGITAL TRANSFORMATION

- 2004: The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was entrusted with regulating carriage and distribution of broadcasting and cable services.
- 2008: Guidelines for IPTV services were issued, enabling telecom operators to offer television content over internet networks.
- 2009: Head-end-in-the-Sky (HITS) services were introduced to improve content delivery to cable operators.
- 2011: The government announced the digitalization of cable TV networks, culminating in complete digital switchover by 2017.
- 2017: TRAI introduced a comprehensive regulatory framework ensuring transparency, fair pricing, and consumer protection in the broadcasting sector.
- The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) revised the uplinking and downlinking policy to streamline permissions and facilitate ease of business.

EXISTING POLICY FRAMEWORK

- Uplinking and Downlinking of Satellite TV Channels: Revised in 2022 to simplify licensing and regulatory compliance.

शामिल थे। **2001** में डीटीएच दिशा-निर्देश जारी करने के बाद **2003** में भारत के पहले डीटीएच प्लेटफॉर्म की शुरूआत ने वितरण पारिस्थितिकी तंत्र को और विविधतापूर्ण बना दिया।

विनियामक विकास और डिजिटल परिवर्तन

- **2004**ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रसारण और केबल सेवाओं के कैरिज और वितरण को विनियमित करने का काम सौंपा गया।
- **2008**ः आईपीटीवी सेवाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों को इंटरनेट नेटवर्क पर टेलीविजन सामग्री प्रदान करने में सक्षम बनाया गया।
- **2009**ः केबल ऑपरेटरों को कंटेंट डिलीवरी में सुधार के लिए हेड-एंड-इन-दॅ-स्काई (हिट्स) सेवायें शुरू की गयी।
- **2011**ः सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क के डिजिटलीकरण की घोषणा की, जिसका अंत **2017** तक पूर्ण डिजिटल स्विचओवर में हुआ।
- **2017**ः ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियामक ढ़ांचा पेश किया।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) ने अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति को संशोधित किया।

मौजूदा नीति ढ़ांचा

- सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंगः लाइसेंसिंग और विनियमक अनुपालन को सरल बनाने के लिए **2022** में संशोधित किया गया।

- Direct-to-Home (DTH) Services: Licensing framework amended in 2020, followed by operational guidelines in 2022.
- Head-end-in-the-Sky (HITS) Services: Policy amended in 2020 to permit infrastructure sharing.
- IPTV Services: Guidelines formulated in 2008 to regulate internet-based TV services.

CURRENT JIGSAW PUZZLE

The Indian television broadcasting industry is a mix of private and public players offering content via multiple platforms:

- Private Broadcasters: Operate Pay TV and Free-to-Air (FTA) channels through cable, DTH, HITS, and IPTV services.
- Public Broadcaster: Prasar Bharati, operating Doordarshan and DD Free Dish, continues to serve a significant audience.
- Revenue Growth: The industry generated Rs. 696 billion in 2023 and is projected to reach Rs. 766 billion by 2026, growing at a CAGR of 3.2%.
- Television Channel Landscape: As of March 2024,

- डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवायेंः लाइसेंसिंग ढ़ांचे में **2020** में संशोधन व **2022** में संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये।
- हेड–एंड–इन–द–स्काई (हिट्स सेवायें)ः बुनियादी ढ़ांचे को साझा की अनुमति के लिए **2020** में नीति में संशोधन किया गया।
- आईपीटीवी सेवायेंः इंटरनेट आधारित टीवी सेवाओं को विनियमित करने के लिए **2008** में दिशानिर्देश तैयार किये गये।

वर्तमान पहेली

भारतीय टेलीविजन प्रसारण उद्योग निजी और सार्वजनिक खिलाड़ियों का मिश्रण है, जो कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सामग्री प्रदान करते हैंः

- निजी प्रसारणकर्ताः केबल, डीटीएच, हिट्स और आईपीटीवी सेवाओं के माध्यम से पे टीवी और फ्री–टू–एयर (एफटीए) चैनल संचालित करते हैं।
- सार्वजनिक प्रसारणकर्ताःदूरदर्शन और डीडी फ्रीडिश का संचालन करने वाला प्रसार भारती उल्लेखनीय दर्शकों को सेवा प्रदान कर रहा है।
- राजस्व वृद्धिःउद्योग ने **2023** में **696** बिलियन रुपये कमाये और **2026** तक **766** बिलियन रूपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो **3.2** की सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है।
- टेलीविजन चैनल परिदृश्यः मार्च **2024** तक, एमआईबी ने **922**

MIB has permitted 922 satellite television channels, including 361 pay TV channels (258 SD and 103 HD).

- Distribution Infrastructure: India has 844 Multi-System Operators (MSOs), 1 HITS operator, 4 pay DTH operators, and 52 IPTV providers, alongside 81,706 registered cable operators.
- Subscriber Base: 62 million cable TV households, 2 million HITS subscribers, 45 million DD Free Dish households, and 61.97 million active pay DTH subscribers as of March 2024.

LICENSING AND PERMISSIONS

MIB grants permissions under two categories—'News and Current Affairs' and 'Non-News and Current Affairs'—covering:

- Uplinking and Downlinking of Channels: Governed by the 2022 policy, requiring security clearances and regulatory compliance.
- Setting Up Teleports: Subject to approvals from the Department of Space and MHA.
- News Agencies: Permitted under the 2022 guidelines for content gathering and distribution.
- DTH Services: Licensing agreements issued under the Indian Telegraph Act, detailing terms of operation and compliance.
- HITS Services: Operated under a Grant of Permission Agreement (GOPA) with specific obligations and technical standards.
- IPTV Services: Requires self-declaration and compliance with telecom and broadcasting regulations.

India's television broadcasting sector has evolved significantly from a state-controlled monopoly to a dynamic industry characterized by competition, technological advancements, and regulatory reforms. With continued digitalization, expansion of IPTV, and growing DTH penetration, the industry is poised for further growth and innovation. As the sector advances, policy frameworks will continue to evolve to balance business interests, consumer rights, and regulatory oversight, ensuring a vibrant and competitive broadcasting ecosystem in India. ■

सैटेलाइट टीवी चैनलों को अनुमति दी, जिसमें **361** पे टीवी चैनल (**258** एसडी व **103** एचडी) शामिल हैं।

- वितरण संरचनाः भारत में **844** मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), **1** एचआईटीएस ऑपरेटर, **4** पे डीटीएच ऑपरेटर और **52** आईपीटीवी प्रदता हैं, साथही **81,706** पंजीकृत केबल ऑपरेटर है।
- ग्राहक आधारः मार्च **2024** तक **62** मिलियन केबल टीवी परिवार, **2** मिलियन हिट्स ग्राहक, **45** मिलियन डीडी फ्रीडिश परिवार और **61.97** मिलियन सक्रिय पे डीटीएच ग्राहक हैं।

लाइसेंसिंग और अनुमतियां

एमआईबी दो श्रेणियों के अंतर्गत अनुमतियां प्रदान करता है–समाचार और समसामयिक मामले और गैर समाचार और समसामयिक मामले–जिसमें शामिल हैंः

- चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंगः **2022** नीति द्वारा शासित, सुरक्षा मंजूरी और विनियामक पालन की आवश्यकता है।
- टेलीपोर्ट स्थापित करनाः अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय से अनुमोदन के अधिन।
- समाचार एजेंसियांः सामग्री एकत्र करने और वितरण के लिए **2022** दिशनिर्देशों के तहत अनुमति दी गयी है।
- डीटीएच सेवायेंः भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत जारी लाइसेंसिग समझौते, संचालन और अनुपालन की शर्तो का विवरण।
- हिट्स सेवायेंः विशिष्ट दायित्वों और तकनीकी मानकों के साथ अनुमति समझौते (जीओपीए) के तहत संचालित।
- आईपीटीवी सेवायेंः इसके लिए स्व–घोषणा व दूरसंचार और प्रसारण विनियमों का अनुपालन आवश्यक है।

भारत का टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र राज्य नियंत्रित एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति और विनियमक सुधारों की विशेषता वाले एक गतिशील उद्योग में महत्वपूर्ण रूप में विकसित हुआ है। निरंतर डिजिटलीकरण, आईपीटीवी के विस्तार और डीटीएच की बढ़ती पहुंच के साथ, उद्योग आगे विकास और नवाचार के लिए तैयार है। जैसे–जैसे यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा, भारत में एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक हितों, उपभोक्ता अधिकारों और विनियामक निगरानी संतुलित करने के लिए नीतिगत ढ़ांचे विकसित होते रहेंगे। ■